गृह (परिवहन) विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 15 अक्टूबर 2007

क्रमांक 1023/परि./07.—मोटरयान अधिनियम, 1988 (क्रमांक 59 सन् 1988) की धारा 67 की उपधारा (1) एवं उक्त उपधारा के खण्ड (क) से (घ) के उपबंधों द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ 7–3–99/आठ, दिनांक 23-11–1999 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा राज्य के राज्य परिवहन प्राधिकार तथा क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार को वाहनों का उसमें उल्लेखित भाड़ा को निर्धारित करने के संबंध में निम्नलिखित निर्देश देती है :—

निर्देश

नीचे दी गई अनुसूची में कॉलम–एक में उल्लेखित प्रकार के संविदा वाहन तथा प्रक्रम वाहन के रूप में संचालित नगर वाहनों के कि.मी. मापित दूरी के लिए प्रभारणीय अधिकतम भाड़ा उक्त अनुसूची के कॉलम–02 में उनके सामने उल्लेखित दरों के समान होगा :—

स. क्र.	संविदा वाहन का प्रकार	किराये की दर
1.	मोटरकेब/टेक्सी (डीजल चलित)	रु. 06.00 प्रथम कि.मी. या उसके भाग के लिए तत्पश्चात् प्रत्येक कि.मी. या उसके भाग के लिए रु. 03.50.
2.	मोटरकेब टेक्सी (पेट्रोल चलित)	1/2 कि.मी. हेतु रु. 03.50 न्यूनतम भाड़े के विषय के लिए रु. 10.00 लिया जायेगा.
3.	तीन पहिये वाले टेम्पो डीजल चलित जिसकी बैठक क्षमता चालक को छोड़कर 06 सीट हों.	रु. 05.00 प्रथम कि. मी. अथवा उसके भाग के लिए तत्पश्चात् प्रत्येक कि.मी. या उसके भाग के लिए रु. 03.50.
4.	स्कूटर–रिक्शा (पेट्रोल चलित)	रु. 06.00 प्रथम कि.मी. अथवा उसके भाग के लिए तत्पश्चात् प्रत्येक कि.मी. या उसके भाग के लिए रु. 05.00.
5.	स्कूटर–रिक्शा (पेट्रोल चलित)	रु. 08.00 प्रथम कि. मी. अथवा उसके भाग के लिए तत्पश्चात् प्रत्येक कि.मी. या उसके भाग के लिए रु. 05.00.
6.	सीटी बस (प्रक्रम/संविदा वाहन) जो कि नगर-निगम/छावनी क्षेत्रों या विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण क्षेत्रों या नगर-पालिक या पार्श्वस्थ मार्गों जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित हों, पर चलाये जाते हों.	
	(क) ऐसे यान जिनकी बैठक क्षमता 07 से 13 सीटर तक चालक को अपवर्जित करते हुए हों.	प्रथम तीन कि. मी. तक प्रति यात्री/सीट के लिए रु. 03.00 और तत्पश्चात् प्रत्येक कि.मी. या उसके भाग के लिए रु. 0.50 पैसे.
	(ख) ऐसे यान जिनकी बैठक क्षमता 13 से अधिक हों, के लिए.	प्रथम 03 कि. मी. तक रु. 03.00 07 कि.मी. तक का किराया रु. 04.00 10 कि.मी. तक का किराया रु. 05.00 13 कि.मी. तक का किराया रु. 06.00 16 कि.मी. तक का किराया रु. 07.00 19 कि.मी. तक का किराया रु. 08.00 22 कि.मी. तक का किराया रु. 09.00 25 कि.मी. तक का किराया रु. 10.00 25 कि.मी. से अधिक का किराया रु. 12.00

Raipur, the 15th October 2007

No. 1023/Trans./07.— In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 67 of the Moto. Vehicle Act, 1988 (No. 59 of 1988) and having regard to the provision of clauses (a) to (d) of the said Sub-section (1) and in supersession of Department Notification No. F-7-3-99/viii, dated 22nd Nov. 1999, the State Government hereby issues the following directions to the State Transport Authority and the Regional Transport Authorities in the State, regarding fixing of fares mentioned therein :—

DIRECTIONS

The maximum fare chargeable to the distance measured in Kilometers for the type of Contract Carriage and Stage Carriage of City Buses specified in column (1) of the schedule below shall be at the rates specified in corresponding entries against them in the column (2) of the said schedule.

SCHEDULE

S. No.	Type of Contract Carriage	Fare
1.	Motor Cab/Taxi (Diesel Driven)	Rs. 06.00 for the first kilometer or part thereof, and thereafter Rs. 03.50 for every kilometer or part thereof.
2.	Motor Cab/Taxi (Petrol Driven)	Rs. 03.50 for 1/2 kilometer subject to a minimum of Rs. 10.00.
3.	Three wheeler Tempo (Diesel Driven) with seating capacity up to 06 excluding the driver.	Rs. 05.00 for the first kilometer or part thereof, and thereafter Rs. 03.50 for every kilometer or part thereof.
4.	Scooter-Rickshaw (Diesel Driven)	Rs. 06.00 for the first kilometer or part thereof, and thereafter Rs. 05.00 for every kilometer or part thereof.
5.	Scooter-Rickshaw (Petrol Driven)	Rs. 08.00 for the first kilometer or part thereof, and thereafter Rs. 05.00 for every kilometer or part thereof.
6.	City Bus (Stage Carriage/Contract Carriage) plying within the Municipal Corporation/ Cantonment area or Special Area. Development Authority or on such routes serving Municipal and Adjacent area as may be approved by the State Government.	
	(a) Vehicle with seating capacity seven to thirteen excluding the driver.	Rs. 03.00 for the first three kilometers per passenger/ seat, and thereafter Rs. 00.50 paise for every kilometer or part thereof.
	(b) Vehicle with seating capacity exceeding thirteen.	Fare up to 03 kilometers Rs. 03.00 Fare up to 07 kilometers Rs. 04.00 Fare up to 10 kilometers Rs. 05.00 Fare up to 13 kilometers Rs. 06.00 Fare up to 16 kilometers Rs. 07.00 Fare up to 19 kilometers Rs. 08.00 Fare up to 22 kilometers Rs. 09.00 Fare up to 25 kilometers Rs. 10.00 Fare for more than 25 kilometers Rs. 12.00

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक जुनेजा, विशेष सचिव.

-13- (4)

गृह (परिवहन) विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 11 जनवरी 2007

क्रमांक एफ-5-17-आठ/परि./07.—मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का सं. 59) की धारा 200 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए एवं इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-17/दो/परि./2003, दिनांक 27 सितम्बर 2003 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, एतद्द्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-53/दो/आठ-परि/02, दिनांक 01 मई 2003 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना के अनुक्रमांक 14, के स्थान पर निम्नलिखित अनुक्रमांक 14 स्थापित किया जाए, अर्थात् :-

अ. क्र.	मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा	प्रशमन की रकम रु. में	
		प्रथम अपराध पर	द्वितीय अथवा पश्चात्वर्ती अपराध के लिए जहां लागू हो
(1)	(2)	(3)	(4)
14	अ-194 (1) अनुज्ञेय भार से अधिक भार वाले यान का चालन.	रु. 2,000.00 एवं निर्धारित क्षमता से अधिक भार पर प्रति टन या उसके भाग के लिए रु. 1,000.00.	प्रत्येक बार
	ब-194 (2) मोटरयान को रोकने एवं भार करने से इंकार करने आदि पर.	रु. 2,500.00	प्रत्येक बार

Raipur, the 11th January 2007

No. F-5-17/Two/VIII/Tr./07.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 200 of the Motor Vehicle Act, 1988 (No. 59 of 1988) and in supersession of this department notification No. F-5-17/Two/VIII-Tran/03, dated 27 September 2003, the State Government hereby makes the following amendments in this department notification No. F-5-53/Two/VIII-Tran/02, dated first May 2003, namely :—

AMENDMENT

In the said notification for the serial number 14, of the schedule the following serial number 14, shall be substituted, namely :—

S. No.	Section of Motor Vehicle Act, 1988	Amount of Composition fee in Rs.	
		For first offence	For second or subsequent offences wherever applicable
(1)	(2)	(3)	(4)
14	A-194 (1) Driving vehicle exceeding permissible weight	Rs. 2,000-00 and Rs. 1,000-00 for each additional tone or part thereof in excess of permissible load.	each time.
	B-194 (2) Refusal to stop and submit the vehicle for weighing etc.	Rs. 2,500-00	each time

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. के. शुक्ला, उप-सचिव.

— 17 —

Raipur, the 24th November 2008

No. 3555/तक- 294/टासी/2008.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 200 of the Motor Vehicle Act, 1988 (No. 59 of 1988), the State Government hereby makes the following further amendment in this Department Notification No. F. 5-53/Two/viii-Tr./02, dated 1st June, 2003, namely :—

AMENDMENT

In the Schedule to the said notification, for the entries in column number (2), (3) and (4) against serial number 1, the following entries shall be substituted, namely :—

S. No.	Section of the Motor Vehicle Act, 1988	Amount of Composition in Rupees	
		For First offence	For Second or subsequent offences applicable
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Section 177-General provision for punishment of offences-All offences of the Motor Vehicle Act and Central Motor Vehicle Rules not specified in this Schedule hereafter.	200-00	500-00

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक जुनेजा, विशेष सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 14 अक्टूबर 2008

प्रकरण क्रमांक 12/अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बिलासपुर

(ख) तहसील-बिल्हा

(ग) नगर/ग्राम-सिलपहरी, प. ह. नं. 2

(घ) लगभग क्षेत्रफल-9.00 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
36/1	2.70
36/2	0.50
37	0.36
96	0.27
350/1	0.21
354/1	0.52
354/2	0.13
355	0.26
360	0.11
390	0.45
391/1	0.20
391/2	0.20
391/3	0.20
391/4	0.20
392/1	0.14
392/2	0.27
393	0.26
394	0.12
395	0.31